संख्या: 94/2025/1417/छप्पन-2025-41/03टी0सी0

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 31 अक्टूबर, 2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 में नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 के लिए 03 निष्प्रयोज्य वाहनों/ग्राउण्ड इक्यूपमेंट के स्थान पर 03 नये वाहन/ग्राउण्ड इक्यूपमेंट के क्रय के सम्बन्ध में स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या-118/ ना0उ0नि0/2025/376/2007-08, दिनांक 28 जुलाई, 2025 एवं पत्र संख्या-179/ ना0उ0नि0/2025/376/2007-2008, दिनांक 15 सितम्बर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निष्प्रयोज्य 02 वाहनों एवं 01 ग्राउण्ड इक्यूपमेंट के स्थान पर 02 वाहनों तथा 01 ग्राउण्ड इक्यूपमेंट को क्रय किए जाने का प्रस्ताव निम्नवत् उपलब्ध कराया गया है:-

क्र0सं0	निस्तारित वाहन		नए प्रस्तावित वाहन	
	वाहन मेक/मॉडल	निस्तारण वर्ष	वाहन मेक/मॉडल	क्रय मूल्य (रू०)
1.	अम्बेस्डर कार (UP32BG5519)	2024	टोयटा इनोवा क्रिस्टा कार	19,56,759.00
2.	अम्बेस्डर कार (UP32BG5520)	2023	मारूति डिजायर	7,49,920.00
3.	वोल्टास मेक फोर्क लिफ्टर	क्रय के उपरान्त (अनुरक्षण के नियमित कार्यों में बाधा होने कारण)	गोदरेज फोर्क लिफ्टर	23,84,000.00
			योग	50,90,679.00

साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि शासकीय कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु 02 वाहनों एवं 01 ग्राउण्ड इक्यूपमेंट को जेम के माध्यम से क्रय किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें, जेम पोर्टल से प्राप्त की गयी दरों के अनुसार रू0 50,90,679.00 का व्यय संभावित है। जेम पोर्टल पर हर समय किसी विशेष मॉडल की उपलब्धता नहीं हो पाती है और दरों में परिवर्तन होता रहता है। तद्नुसार क्रय हेतु प्रस्तावित वाहनों में मॉडल का उल्लेख नहीं किया गया है। वाहन के मॉडल अथवा मेक (जो भी स्थिति हो) का चयन क्रय के समय जेम पोर्टल पर उपलब्धता के अनुसार वित्तीय सीमा के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर किया जाएगा। वाहनों के क्रय व साज-सज्जा (सीट कवर, पर्दे, मैट, इत्यादि के लिए 03 वाहनों हेतु अनुमानित रू0 1.20 लाख) हेतु अनुमति प्रदान किए जाने तथा 03 वाहनों के क्रय पर निहित व्यय लगभग रू0 55.00 लाख की धनराशि निदेशक, नागरिक उड्डयन के निवर्तन पर स्वीकृत/आवंटित किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्रों में किए गए प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रयोगार्थ पुराने 03 निष्प्रयोज्य वाहनों/ग्राउण्ड इक्यूपमेंट के स्थान पर 03 नये वाहन/ग्राउण्ड इक्यूपमेंट को जेम पोर्टल के माध्यम से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रय की अनुमति तथा अनुमानित मांग रुपये 55.00 लाख में से अन्य एसेसरीज जैसे-साज-सज्जा सीट कवर, पर्दे, मैट, इत्यादि के लिए 03 वाहनों हेतु अनुमानित व्यय रू0 1.20 लाख को कम करके वाहन क्रय हेतु रुपये 53.80 लाख (रु0 तिरपन लाख अस्सी हज़ार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त धनराशि निदेशक, नागरिक उड्डयन के निवर्तन पर भुगतान हेतु आवंटित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन प्रश्नगत वाहनों के उपयोग के लिये अधिकृत अधिकारियों की अपरिहार्य आवश्यकता एवं उपलब्ध वाहनों के संचालन में अपरिहार्य /न्यूनतम व्यय के संबंध में स्वयं सुनिश्चित हो लेंगे।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध शासनादेशों / नियमों / विनियमों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन जेम (GEM) की दरों की अनुमन्यता एवं वैधता अपने स्तर पर सुनिश्चित करेगें ।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-58/2023/1621/18-2-2023/18-2099/372/2023-125(ल0उ0)/ 2014, दिनांक 21.12.2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार अनुमन्य वित्तीय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। निदेशक, नागरिक उड्डयन निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी से प्राप्त धनराशि राजकीय राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3- उपर्युक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन सुसंगत पूंजीगत लेखा लेखा शीर्ष " 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-05-नागरिक उड्डयन निदेशालय 14-मोटर गाड़ियों का क्रय" के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या E-7-79-X-2025-26 दिनांक 30 अक्टूबर, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव

पृ0सं0: 94/2025/1417(1) छप्पन-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार ई०एस0 111, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।